कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक –5424 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 07-6-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.911 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/40805/2019।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 23 / 2021 / एफ0सी0 / 1446 दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 7948 / 12–1 दिनांक 21.05.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com, Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः— 7948 /12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 21, मई, 2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.911 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। प्रपोजल सं0 **(FP/UK/ROAD/40805/2019)**

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड के पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 23 / 2021 / एफ0सी0 / 1446, दिनांक 19.01.2022। व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1316 / 22याता0 दिनांक 17.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नवत निराकरण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत हैः—

S.N.	आपत्ति	उत्तर
1	प्रस्तुत बार चार्ट पर उपलब्ध जानकारी अनुसार लाभान्वित होने वाले ग्राम पौण एवं डूंगरी को के0एम0एल0 फाईल पर नहीं दर्शाया गया है।	चूंकि प्रश्नगत मार्ग, पूर्व निर्मित मार्ग जिसकी लम्बाई 2.00 किमी0 है से आगे की ओर ग्राम—धारी, डुंगरी तक स्वीकृत है। जिसमें इस मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु ग्राम पौण के क्षेत्र में आता है, परन्तु ग्राम पौण मोटर मार्ग से जुड़ा है व डुंगरी जो कि ग्राम धारी का ही लाभान्वित होने वाला तोक है। मार्ग का विस्तार डुंगरी में स्थित चमाली मोटर मार्ग के मिलान तक लिया गया है। अतः ग्राम— पौण व डुंगरी की भूमि प्रभावित होने के कारण बार चार्ट में इन्हें लिया गया है। वास्तविक रूप से लाभान्वित होने वाले ग्राम— धारी, धारी जोशी (डुंगरी) है। जिस कारण से ग्राम पौण को के0एम0एल0 में नहीं दर्शाया गया है व डुंगरी को के0एम0एल0 में दर्शाते हुए पुनः अपलोड कर दिया गया है।
2.	मार्ग को पूर्व स्वीकृत चण्डाक—धारी मोटर मार्ग से प्रारम्भ कर आगे डूगरी तक बढ़ाया जा रहा है। जबकि प्रारम्भ बिन्दु से ग्राम धारी तक मध्य में आरक्षित वन क्षेत्र पड़ता है और कोई आबादी दर्शित नहीं होती है। इस प्रकार प्रस्तुत डिजिटल मानचित्र में अंकित बिन्दु क0 1 से 13 तक के समरेखण का औचित्य स्पष्ट नहीं है।	पूर्व स्वीकृत चण्डाक धारी मोटर मार्ग (लं0 2.00 किमी0) की वन भूमि हस्तान्तरण कर विधिवत स्वीकृति शासनादेश सं0 2756 / 7 —1—2013— 60(2986) / 2009, दिनांक 15.07.2013 द्वारा 1.4हे0 वन भूमि की प्राप्त है (संलग्न) प्रस्तावित मोटर मार्ग को इसके अंतिम बिन्दु से आगे बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 24 / III(2) / 18—44 (एम0 एल0ए0) / 2017, दिनांक 10.01.2018 द्वारा चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार (लं0 5.00किमी0) के नाम से प्राप्त है। व पूर्व निर्मित 2.00 किमी0 भाग जो कि डामरीकृत स्टेज तक पूर्ण हो चूका है, से आगे की ओर धारी डुंगरी तक मार्ग का समरेखण किया गया है। प्रारम्भ बिन्दु से ग्राम धारी तक मध्य में मात्र 325 मी0 आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि समरेखण के अनुसार न्यूनतम है व इसमें प्रभावित 51 वृक्षों की सं0 भी न्यूनतम है, जिस हेतु वन संरक्षक, अल्मोड़ा द्वारा भी निरीक्षण उपरान्त न्यूनतम वृक्षों के पातन सम्बन्धी आख्या दी गई है। पूर्व में प्रस्तुत डिजिटल मानचित्र में अंकित क्रम सं0 1 से 13 के समरेखण को संशोधित कर पुनः डिजिटल मैप अपलोड कर दिया गया है।

3.	धारी गांव के दायीं ओर एक अन्य मार्ग दिखायी दे रहा है जिसकी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, जहां से यदि आवश्यक हो तो धारी गांव को जोड़ा जा सकता है जिससे निश्चित ही पातन में कमी आयेगी।	धारी गॉव के दायी ओर एक मार्ग दिखाई दे रहा है जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित चण्डाक चमाली मोटर मार्ग है। इसके किमी0 4.00 बगौर नामक स्थान से यदि धारी को जोड़ा जाता है तो इस समरेखण की 550 मी0 लम्बाई में आरक्षित भूमि प्रभावित होगी जो कि सघन बांज वृक्षों से आच्छादित है व वर्तमान समरेखण में प्रभावित होने वाले 51 वृक्षों से कहीं अधिक होगी व चण्डाक चमाली मोटर मार्ग का 4.00 किमी0 का भू–भाग शीतकाल में लगभग 02 माह बर्फ से बाधित रहता है।
4.	इसके अतिरिक्त अन्त बिन्दु से ग्राम धारी पर मार्ग को समाप्त किया जा सकता है। धारी गॉव को दोनों ओर से मार्ग से जोड़ने का औचित्य भी अस्पष्ट है, जिसे स्पष्ट किया जाए।	धारी गॉव को दोनों ओर से मार्ग से जोड़ा जा रहा है जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट कराना है कि डुंगरी जो कि ग्राम धारी का ही लाभान्वित होने वाला तोक है व क्षेत्र के अन्य ग्राम–पाभैं, बास्ते, कुचगाड़ आदि के ग्रामवासियों को वर्तमान में पिथौरागढ़ मुख्यालय तक आने हेतु लगभग 16 किमी0 दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से इस क्षेत्र की आबादी को जिला मुख्यालय पहुचने में मात्र 9 किमी0 दूरी ही तय करनी होगी। अतः मार्ग की स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष चण्डाक चमाली मोटर मार्ग के मिलान बिन्दु डुंगरी तक 4.500 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। स्पष्टीकरण हेतु के0एम0एल0 मैप तैयार कर ई–मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है।

संलग्नः– यथोक्त (04 प्रतियों में)।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

D/C